[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क , तारीख 13 जुलाई, 1994 जो सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (2) में "और ध्वनि अभिलेखन टेप" शब्दों के स्थान पर "ध्वनि अभिलेखन टेप, पोशाक और प्रौप्स" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क , तारीख 13 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्या सा.का.नि. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित द्वारा संशोधित की गई थी ।